।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 5343 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, जून 04 /2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः— जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में. (Online No:- FP/UK/Road / 14620 / 2021)

संदर्भः— इस कार्यालय की पत्र सं0 5031 / 12—1 दिनांक 07.05.2025 (संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें सहायक महा निरीक्षक, भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्रसं0 085बी / यू0सी0पी0 / 06 / 137 / 2021 / एफ0सी0 दिनांक 24.04.2025 संलग्न किया गया, उक्त पत्र में बिन्दु 02एवं बिन्दु सं0 03 तथा बिन्दु सं0 4 के सम्बन्ध में सूचना तैयार करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ से समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त निरीक्षण कर आपको एवं वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ को सूचना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया, परन्तु आतिथि तक भी उक्त सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नही हो पायी है। आप द्वारा उक्त सूचना तैयार करने हेतु तिथि नियत करने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में बिन्दु सं0 02, बिन्दु 3 एवं बिन्दु सं0 04 में सूचना तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक 10.06.2025 नियत की जाती है। संयुक्त निरीक्षण से पूर्व संरेखण का सीमांकन नही किया गया हो तो सीमांकन का कार्य पूर्ण करे, ताकि संरेखण में आ रहे वृक्षो की गणना सही हो सके।

अतः आप उपरोक्त नियत तिथि को संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ (मो0 नं0 7060618725) से सम्पर्क स्थापित करते हुए अपने सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / कर्मचारी को अभिलेखो के साथ प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे। ताकि सूचना उच्च स्तर को समयान्तर्गत प्रेषित की जा सके।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ को उपरोक्त इस निर्देश के साथ के प्रेषित कि आप प्रयोक्ता एजेन्सी अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली (मो0नं0 9897062274) के साथ उपरोक्त नियत तिथि को संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करते हुए उपरोक्त विन्दुओ में सूचना यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करे, ताकि सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः /

सेवा में, दिनांक, गोपेश्वर, 07/05/2025

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः— जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No:- FP/UK/Road/14620/2021)

संदर्भः— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी, की पत्र सं0 2160/12—1 दिनांक 06.05. 2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में सहायक महा निरीक्षक, वन, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलाय, की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/137/2021/एफ0सी0 दिनांक 24.04.2025 (संलग्न) से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही गयी जो निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	किये जाने वाली कृत कार्यवाही
1-	State Government shall submit a technical justification that only proposed alignment is suitable for construction of road and other alignments are not fit for the construction of the road. The technical comparative statement for both proposed road and alternate alignments shall also be submitted.	उक्त प्रकरण में आपके द्वारा सूचना तैयार की जानी है।
2-	State Government shall submit/upload CA details (CA scheme as per current rate, KML file, Suitability certificate, maps, etc).	उक्त प्रकरण में आप वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के साथ आपसी समन्वय से सूचना तैयार करे।
3-	Tree enumeration list in current scenario shall be submitted/uploaded.	उक्त प्रकरण में आप बिन्दु संख्या 1 के संरेखण के अनुसार वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के साथ आपसी समन्वय से संरेखण में आ रहे वृक्षों की सूची तैयार करे।
4-	The beneficiary village is already connected with road and felling of total 45 numbers of baanj trees is involved. Therefore, proposal is liable to be rejected. Clarification in this regard shall be submitted.	उक्त प्रकरण मे बिन्दु संख्या 4 में चाही गयी सूचना/आख्या हेतु आप वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के साथ संयुक्त निरीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
5-	The User agency shall submit details of IRC norms for road in hilly area and how the user agency will comply to the said norms with proper justification.	उक्त प्रकरण में आपके द्वारा सूचना/आख्या तैयार की जानी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त बिन्दुओं में सुस्पष्ट सूचना तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 5031 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप प्रयोक्ता एजेन्सी के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त सारणी में बिन्दु संख्या 2,3,4 में चाही गयी सूचना/आख्या तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।